न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1061/2020

अनवान : –

1. दुनीराम पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. सुखराम 2. ओमप्रकाश पुत्रगण हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।
5. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 30/04/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 85/48 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादीगण के बीच सींव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त सम्बधी झगड़ा बना रहता है एवं प्रतिवादीगण समतल व उपजाउ भूमि पर काबिज होने की फिराक में है एवं अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होना चाहते है। इसलिए वाद भूमि का खाता व लगान वादी अलहदा–अलहदा करवा पाने की अधिकारी है अत मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे। उपरोक्त आशयों की वादी घोषणा करापाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 85/48 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि का विभाजन दिनांक 25.01.1983 को हुआ एवं उक्त विभाजन को निरस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे अपील विचाराधीन है। इसलिए उक्त वाद रेस्यज्यूडिकेटा से अराईज है एवं संधारण योग्य नही है अत वाद वादी खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवदेन किया की वाद भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादीगण के बीच सींव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त सम्बधी झगड़ा बना रहता है एवं प्रतिवादीगण समतल व उपजाउ भूमि पर काबिज होने की फिराक में है एवं अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होना चाहते है। इसलिए वाद भूमि का खाता व लगान वादी अलहदा–अलहदा करवा पाने की अधिकारी है अत मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि का विभाजन दिनांक 25.01.1983 को हुआ एवं उक्त विभाजन को निरस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे अपील विचाराधीन है। इसलिए उक्त वाद रेस्यज्यूडिकेटा से अराईज है एवं संधारण योग्य नही है अत वाद वादी खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 85/48 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के प्रकरण स0 11/2020 की चित्रप्रति के मुताबिक उक्त वाद भूमि बाबत माननीय न्यायालय में अपील जैरकार है जो की इस प्रकरण से पहले दर्ज हुई है एवं जब तक अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में अपील जैरकार है तब तक वादी इस न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अत वाद वादीगण संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 30/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:50 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1061 / 2020

अनवान : –

1. दुनीराम पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. सुखराम 2. ओमप्रकाश पुत्रगण हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।
5. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1061 सन 2020 निर्णय दिनांक 30/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक ...30/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:50 IST
Reason: SelfAttested